Bid Number/बोली क्रमांक (बिड संख्या): GEM/2024/B/5482660
Dated/दिनांक : 08-10-2024

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

Bid Details/बिड विवरण	
Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय	30-10-2024 16:00:00
Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय	30-10-2024 16:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)	90 (Days)
Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम	Ministry Of Panchayati Raj
Department Name/विभाग का नाम	Ministry Of Panchayati Raj
Organisation Name/संगठन का नाम	Ministry Of Panchayati Raj
Office Name/कार्यालय का नाम	Mopr Jeevan Bharati Building Tower Ii New Delhi
Item Category/मद केटेगरी	Custom Bid for Services - Impact Evaluation Study
Similar Category/समान श्रेणी	• Empanelment of Consultants/Service Providers • Survey or Market Research Services/ Program evaluation or assessment survey services/Feedback Survey
Contract Period/अनुबंध अवधि	6 Month(s) 2 Day(s)
Years of Past Experience Required for same/similar service/उन्हीं/समान सेवाओं के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष	5 Year (s)
MSE Exemption for Turnover/टर्नओवर के लिए एमएसई को छूट प्राप्त है	Yes
Startup Exemption for Turnover/ टर्नओवर के लिए स्टार्टअप को छूट प्राप्त है	Yes
Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Experience Criteria,Certificate (Requested in ATC),Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC),Additional Doc 3 (Requested in ATC),Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?/	Yes

Bid Details/बिड विवरण	
Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	No
Type of Bid/बिड का प्रकार	Two Packet Bid
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	2 Days
Estimated Bid Value/अनुमानित बिड मूल्य	7500000
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Total value wise evaluation
Financial Document Indicating Price Breakup Required/मूल्य दर्शाने वाला वित्तीय दस्तावेज ब्रेकअप आवश्यक है	Yes

EMD Detail/ईएमडी विवरण

Advisory Bank/एडवाईजरी बैंक	State Bank of India
EMD Amount/ईएमडी राशि	375000

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

Advisory Bank/एडवाइजरी बैंक	State Bank of India
ePBG Percentage(%)/ईपीबीजी प्रतिशत (%)	5.00
Duration of ePBG required (Months)/ईपीबीजी की अपेक्षित अवधि (महीने).	8

(a). EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy./जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने है। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।

(b). EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable./ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए।

Beneficiary/लाभार्थी :

DDO
MoPR Jeevan Bharati Building Tower II New Delhi
(Ram Babu Jangir)

MII Compliance/एमआईआई अनुपालन

MII Compliance/एमआईआई अनुपालन	Yes

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest definitions under MSME rules, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
2. If the bidder is a Startup, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
3. Years of Past Experience required: The bidder must have experience for number of years as indicated above in bid document (ending month of March prior to the bid opening) of providing similar type of services to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts / orders to be uploaded along with bid in support of having provided services during each of the Financial year.
4. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

Excel Upload Required/एक्सेल में अपलोड किए जाने की आवश्यकता :

Financial Break-up - 1728379979.xlsx

Additional Qualification/Data Required/अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा

Instruction To Bidder:1728371689.pdf

Introduction about the project /services being proposed for procurement using custom bid functionality:1728371698.pdf

Pre Qualification Criteria (PQC) etc if any required:1728371711.pdf

Scope of Work:1728371729.pdf

Payment Terms:1728371737.pdf

GEM Availability Report (GAR):1728371748.pdf

Quantifiable Specification / Standards of The Service/ BOQ:1728371750.pdf

Project Experience and Qualifying Criteria Requirement:1728371751.pdf

Educational Qualification including Profile of SME/Consultants /Professional Resources /Technical Resources if they are part of Project .:1728371773.pdf

Penalties:1728379285.pdf

Undertaking of Competent Authority is mandatory to create Custom Bid for Services. Please download standard format document and upload:1728379302.pdf

This Bid is based on Quality & Cost Based Selelction (QCBS) . The technical qualification parameters are :-

Parameter Name	Max Marks	Cutoff Marks	Qualification Methodology Document

Team Composition, Experience, Approach and Methodology, Plan	100	75	View File

Total Minimum Qualifying Marks for Technical Score: 75

QCBS Weightage(Technical:Financial):70:30

Presentation Venue: If required the agencies will be called for presentation before the CEC at Conference Room, 9th Floor, Jeevan Bharati Building, Connaught Circle, New Delhi

Pre Bid Detail(s)

Pre-Bid Date and Time	Pre-Bid Venue
15-10-2024 15:00:00	Conference Room, 9th Floor, Jeevan Bharati Building, Connaught Circle, New Delhi

Custom Bid For Services - Impact Evaluation Study (1)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification	Values
Core	
Description /Nomenclature of Service Proposed for procurement using custom bid functionality	Impact Evaluation Study
Regulatory/ Statutory Compliance of Service	YES
Compliance of Service to SOW, STC, SLA etc	YES
Addon(s)/एडऑन	

Additional Specification Documents/अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	The quantity of procurement "1" indicates Project based or Lumpsum based hiring.	Additional Requirement/अतिरिक्त आवश्यकता
1	Santosh Kumar Sinha	110001,Jeevan Bharati Building, Tower-II, 9th Floor, Connaught Place, New Delhi-110001	1	N/A

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें

1. **Generic**

   OPTION CLAUSE: The buyer can increase or decrease the contract quantity or contract duration up to 25 percent at the time of issue of the contract. However, once the contract is issued, contract quantity or contract duration can only be increased up to 25 percent. Bidders are bound to accept the revised quantity or duration

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for attached categories, trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्तें, conditons stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्तें is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद

पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---

एम-11015/192/2023-गवर्नेंस
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

टावर II, 9वीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग,
संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 01
दिनांक 8 अक्टूबर, 2024

ई-निविदा सूचना

विषय: "राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग) योजना के प्रभाव मूल्यांकन" विषय पर अध्ययन करने के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु खुली ई-निविदा।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित और सुव्यस्थित स्थापित सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों, संस्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि से "राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के सर्वेक्षण और मानचित्रण में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग) योजना के प्रभाव मूल्यांकन" विषय पर अध्ययन करने के लिए ई-निविदा (दो बोलियों के माध्यम से खुली निविदा जांच) आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल यानी http://gem.gov.in पर अपनी बोलियां "ऑन-लाइन" जमा करें। बोलियां केवल जीईएम पोर्टल के जरिए स्वीकार की जाएंगी यानी निविदाकर्ता जीईएम पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी बोलियां जमा करेंगे। तकनीकी और वित्तीय बोलियां अलग-अलग जमा की जानी हैं। संदर्भ की विस्तृत शर्तें (टीओआर) और अन्य नियम और शर्तें नीचे उल्लिखित हैं। निविदा का अनुमानित मूल्य 75,00,000/- रुपये (पचहत्तर लाख रुपये मात्र) है।

2. बोली प्रक्रिया की अनुसूची

क्र. सं.	**ब्यौरा**	**विवरण**
क	संदर्भ संख्या	एम-11015/192/2023-गवर्नेंस
ख	संगठन का नाम	पंचायती राज मंत्रालय
ग	GeM पोर्टल पर ऑनलाइन प्रकाशन की तिथि	08/10/2024
घ	बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि(तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव/बोली)	30/10/2024
ङ	मंत्रालय में तकनीकी बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	05/11/2024 अपराह्न 3:30 बजे
च	सफल बोलीदाता की घोषणा	GeM पोर्टल के माध्यम से
छ	अनुबंध अवार्ड करना	GeM पोर्टल के माध्यम से

"राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के सर्वेक्षण और मानचित्रण में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग) योजना के प्रभाव मूल्यांकन" विषय पर अध्ययन करने के प्रस्ताव (आरएफपी) के लिए अनुरोध सह संदर्भ शर्तें (टीओआर)

1. **पृष्ठभूमि और संदर्भ:**

स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के सर्वेक्षण और मानचित्रण में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग) 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों के गृह स्वामियों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना तथा साथ ही संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। इससे ग्रामीण आवासीय संपत्तियों को ऋण देने और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए मुद्रीकृत करने में सुविधा होगी। बेहतर संपत्ति रिकॉर्ड स्थानीय सरकारी निकायों को संपत्ति कर संग्रहण को व्यवस्थित करने और गांव के विकास की योजना को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं।

इस योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित हितधारक शामिल हैं:

i. नोडल मंत्रालय (पंचायती राज मंत्रालय), भारत सरकार

ii. राज्य राजस्व विभाग

iii. राज्य पंचायती राज विभाग

iv. स्थानीय जिला प्राधिकरण

v. भारतीय सर्वेक्षण विभाग (प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी)

vi. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) - जीआईएस प्रभाग

vii. ग्राम पंचायत ।

viii. संपत्ति कार्ड स्वामी

ix. व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति मालिक एवं अन्य लाइन विभाग (यदि कोई हो)।

क) स्वामित्व का उद्देश्य:

योजना के व्यापक उद्देश्य/परिणाम निम्नलिखित हैः

i. ग्रामीण भारत में नागरिकों को अपनी संपत्ति के सापेक्ष ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना।

ii. ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक/सही भूमि रिकॉर्ड तैयार करना ।

iii. संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को मिलेगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर राज्य के खजाने में डाला जाएगा

iv. सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण जिसका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए किया जा सकता है।

v. जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने में सहायता।

vi. संपत्ति से संबंधित विवादों और कानूनी मामलों में कमी लाना।

इस योजना के व्यापक परिणामों के रूप में ग्रामीण भारत में समावेशी समाज, संशोधित भू शासन, टिकाऊ आवास और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने की परिकल्पना की गई है।

ख) कवरेज:

i. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए देश के सभी आबादी वाले गांवों को कवर करना है।

ii. पूरा काम पांच साल (वित्त वर्ष 2020-2025) की अवधि में पूरा होने की संभावना है।

iii. योजना के प्रारंभिक चरण (वित्त वर्ष 2020-2021) में नौ प्रायोगिक राज्यों (हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश) को कवर किया गया और पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना।

iv. स्केल-अप चरण (वित्त वर्ष 2021-2025) में 31 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, जहां समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

ग) प्रोसेस फ़्लो - योजना का कार्यान्वयन

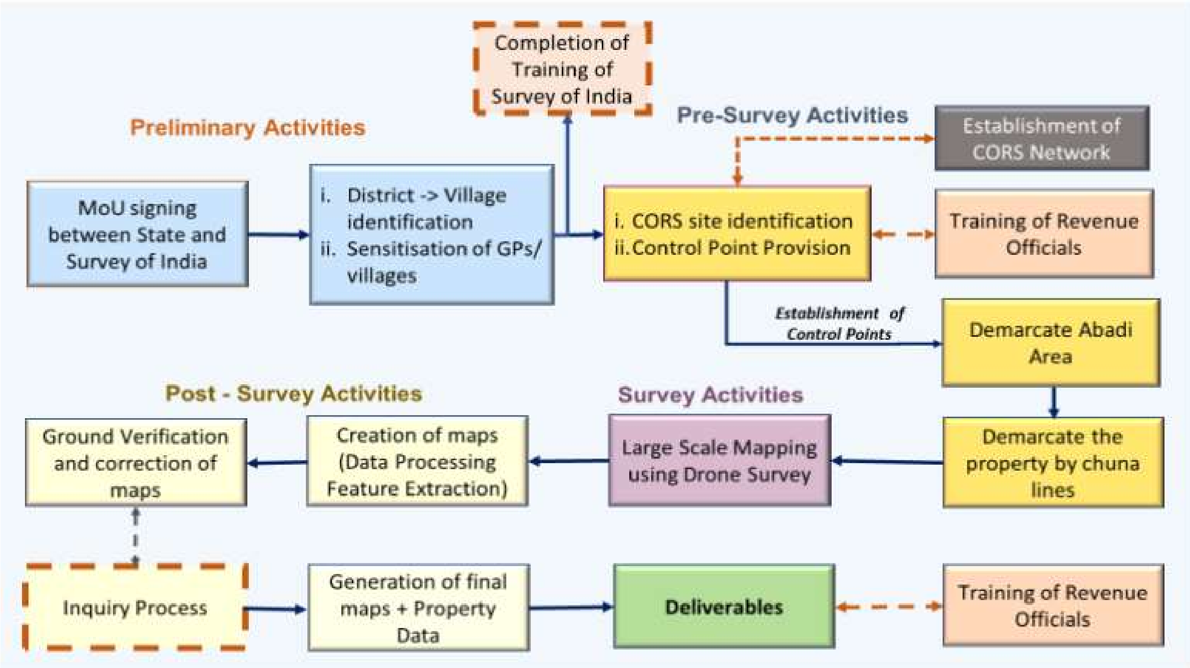

प्रक्रियाओं को समझने के लिए नीचे एक तार्किक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिससे यह समझा जा सके कि योजना किस प्रकार इनपुट को आउटपुट, परिणाम और प्रभाव में परिवर्तित करती हैः

इनपुट	गतिविधियां	आउटपुट	परिणाम	प्रभाव
•राजस्व अधिकारियों का प्रशिक्षण • राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन • मौजूदा कानून में संशोधन • सर्वेक्षण के लिए ड्रोन, सीओआरएस की खरीद	• सतत प्रचालन संदर्भ स्टेशनों (सीओआरएस) की स्थापना • ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण करना, जिसमें ड्रोन की खरीद, उड़ान के लिए अनुमति प्राप्त करना आदि शामिल है। • योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एनपीएमयू और	• स्थापित और कार्यात्मक सीओआरएस स्टेशनों की संख्या • ग्राउंड कंट्रोल प्वाइंट वाले गांवों की संख्या • गांवों की संख्या जहां ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो गया है • गांवों की संख्या जहां ग्राउंड ट्रुथिंग का	• जारी किए गए संपत्ति कार्डों की संख्या। • डिजिटल की गई पूर्ण संपत्ति/भूखण्ड वाले गांवों की संख्या	• बेहतर ऋण पहुंच • संपत्ति विवादों में कमी • सुव्यवस्थित संपत्ति कर संग्रह

	एसपीएमयू की स्थापना।	काम पूरा हो चुका है • गांवों की संख्या जिनके लिए नक्शे अंतिम रूप से तैयार किए गए हैं।		

घ) योजना के घटक:

क्र. सं.	योजना के घटक	संक्षिप्त विवरण
1.	सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना	सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क है जो एक वर्चुअल आधार स्टेशन प्रदान करता है जो लंबी दूरी की उच्च सटीकता नेटवर्क आर.टी.के सुधारों तक पहुंच की अनुमति देता है। सीओआरएस नेटवर्क ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थापित करने में सहायता करता है, जो सटीक जियोरेफरेंसिंग, ग्राउंड ट्रुथिंग और भूमि के सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।
2.	ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण (एलएसएम)	भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्र का मानचित्रण किया जाएगा। यह स्वामित्व संपत्ति अधिकार प्रदान करने के लिए हाई रिज़ॉल्यूशन और सटीक मानचित्रण करेगा। इन मानचित्रों या डेटा के आधार पर, ग्रामीण गृह-स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे
3.	आईईसी गतिविधियां	सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में ग्रामीण आबादी को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम
4.	स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन "ग्राम मानचित्र" का संवर्धन	ड्रोन सर्वेक्षण के तहत बनाए गए डिजिटल स्थानिक डेटा/मानचित्रों का उपयोग जीपीडीपी की तैयारी में सहायता के लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाएगा।

5.	ऑनलाइन निगरानी प्रणाली	ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करेगा
6.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई i. राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) ii. राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	इस योजना को नियमित विभागीय प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
7.	दस्तावेज़ीकरण समर्थन/कार्यशालाएं/एक्सपोज़र दौरे	राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाओं और एक्सपोजर विजिट का आयोजन

2. अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित को समझना है:

(i) लक्षित क्षेत्रों और परिवारों की भौतिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

(ii) योजना के उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है।

(iii) योजना किस सीमा तक आगे बढ़ी है और योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार की गई प्रक्रियाएं योजना के परिणामों को प्राप्त करने में सफल साबित हो रही हैं।

(iv) इस समझ के बाद, यह उम्मीद की जाती है कि प्रभाव मूल्यांकन समीक्षा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ प्रथाओं की पहचान करेगी और ग्राम पंचायतों से जानकारी एकत्र करेगी कि योजना ने विकास आयोजना और संपत्ति कर उपार्जन में उन्हें कैसे लाभान्वित किया है।

(v) लाभार्थियों के अनुभव और योजना के बारे में उनकी धारणा का मूल्यांकन करना।

(vi) भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित सिफारिशें।

3. कार्य का दायरा:

i. स्वामित्व योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना:

क. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थियों पर गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से प्रभाव का मूल्यांकन करना।

ख. प्रक्रियाओं और उद्देश्यों के संबंध में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

ग. विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेष्ठ प्रथाओं का मूल्यांकन करना और उन्हें आगे बढ़ाने के तरीके सुझाना।

ii. योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य की कार्यवाही के लिए पंचायती राज मंत्रालय को सलाह देना।

iii. चयनित एजेंसी दिन-प्रतिदिन की बातचीत/कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नोडल व्यक्ति की नियुक्ति करेगी।

iv. अध्ययन के लिए चुने गए राज्य नामित एजेंसी की सहायता के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। एजेंसी अध्ययन के कार्यान्वयन के लिए राज्य नोडल अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेगी।

v. विभिन्न लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए पाक्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

4. **चयनित एजेंसी की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:**

क) प्रस्तावित कार्यप्रणाली

पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से समय सीमा, कर्मियों की संख्या, कार्य प्रणाली आदि के साथ योजना के प्रभाव मूल्यांकन (गुणात्मक और मात्रात्मक) पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना

क. डेस्क-वर्क

i. प्रमुख योजना प्रक्रियाओं, रूपरेखा, दिशा-निर्देशों, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी और आउटपुट, परिणामों की समझ को बढ़ाना।

ii. विभिन्न राज्यों की योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाओं, राज्य अधिनियमों में संशोधन आदि की समझ को बढ़ाना।

iii. योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मापे जाने वाले प्रमुख मापदंडों को अंतिम रूप देना।

iv. फील्ड सर्वे के लिए राज्यवार प्रश्नावली तैयार करना।

v. सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकी, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक विविधता को कवर करने वाले गांवों और घरों का नमूना लेना।

ख. फील्ड वर्क

i. फील्ड सर्वे के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण और उनकी तैनाती

ii. सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए यात्रा, ठहरने और अन्य विविध लागतों को सुनिश्चित करना

iii. राज्यों में घरेलू सर्वेक्षण का प्रबंधन

व्यापक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: -

(क) योजना के परिणामों और उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता के संबंध में लोगों की संतुष्टि के बारे में उनकी धारणाओं का पता लगाने के लिए नमूना आधारित घरेलू सर्वेक्षण।

(ख) सर्वेक्षण किए गए परिवारों की विशेषताओं का दस्तावेजीकरण।

(ग) ग्राम पंचायतों से जानकारी प्राप्त करना कि इस योजना ने विकास आयोजना और संपत्ति कर प्रणालियों से संबंधित उनके कार्यों को कैसे लाभान्वित किया है।

(घ) योजना के जमीनी कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए राज्य/जिला/ग्राम पंचायत स्तर पर प्रासंगिक हितधारकों के साथ फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) / प्रमुख सूचना साक्षात्कार (केआईआई)। संरचित साक्षात्कार प्रश्नावली को मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना है और इसे आरंभिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाना है।

(ङ) योजना मूल्यांकन पद्धति के प्रभाव को चित्रित करने के लिए जैसे कि प्रवृत्ति स्कोर मिलान, मोटे स्कोर मिलान आदि को शामिल किया जा सकता है।

(च) अध्ययन के लिए हितधारकों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- राज्य/जिला/तहसील स्तर पर राजस्व विभाग के पदाधिकारी
- पंचायती राज विभाग के राज्य/जिला/ब्लॉक इकाई के पदाधिकारी
- राज्य स्तर पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पदाधिकारी
- जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि
- पंचायत पदाधिकारी

ग. डेटा और रिपोर्ट

i. पंचायती राज मंत्रालय के साथ डेटा, पाठ्य या गैर-पाठ्य सामग्री को सुरक्षित प्रारूप में साझा किया जाना चाहिए

ii. डेटा/प्रश्नावली की सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना

iii. डेटा प्रोसेसिंग, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण और सारणीकरण

iv. गांवों से संबंधित डेटा को एलजीडी (स्थानीय सरकार निर्देशिका) में शामिल किया जाना चाहिए

v. पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से प्रभाव मूल्यांकन के निष्कर्षों पर एक श्वेत पत्र तैयार करना

ख) अध्ययन के सुझाए गए क्षेत्र- संभावित विषय-वस्तु

क्र.सं.	अध्ययन के सुझाए गए क्षेत्र
क.	**हितधारक विश्लेषण**
1.	इसमें शामिल राजस्व विभाग, पीआर विभाग- जिला, ब्लॉक और जीपी, एसओआई, जीडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय, जिला और तहसील स्तर के राजस्व अधिकारी आदि जैसे हितधारकों का विश्लेषण और भागीदारी और रणनीतिक महत्व के संदर्भ में एक मैट्रिक्स तैयार करना
ख.	**सर्वेक्षण-पूर्व और सर्वेक्षण गतिविधियाँ**
1.	आबादी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण के लिए राज्य राजस्व/पंचायत अधिनियमों में संशोधन किया गया
2.	संपत्ति कार्ड/स्वामित्व हक विलेख प्रारूपों को अंतिम रूप देने/निर्माण करने की प्रक्रिया, अनुसूची जारी करना और सभी संबंधितों को सूचित करना
3.	उत्तराधिकार से संबंधित नियम
4.	सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान में ग्राम पंचायतों की भूमिका - जागरूकता बढ़ाने के लिए आईईसी गतिविधियां और पहल
5.	राज्य, जिला एवं पंचायत स्तरीय निगरानी समिति का गठन एवं उनकी प्रभावशीलता
6.	संसाधनों का अभिसरण
ग.	**कैप्चर की गई विशेषताएँ**
1.	एकत्रित की जा रही विशेषताओं का विवरण

2.	संपत्ति कार्ड में दर्ज मालिकों/सह-मालिकों का विवरण - संपत्ति कार्ड पर लिंगवार डेटा
घ.	**बैंक सक्षमता/बैंकएबिलिटी**
1.	बैंकों द्वारा संपत्ति कार्ड की स्वीकार्यता के लिए एसएलबीसी के साथ बातचीत
2.	आबादी क्षेत्र के भूमि मूल्यांकन के निर्धारण के लिए स्थापित की गईं प्रणालियां
3.	संपत्ति के पंजीकरण के लिए किए गए प्रावधान
4.	संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए पट्टे पर दी गई भूमि को मालिकों को हस्तांतरित करने के लिए किए गए प्रावधान
ङ	**सर्वेक्षण के पश्चात**
1.	ग्राम पंचायत संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव और अद्यतनीकरण
2.	ग्राम नियोजन और विकास के लिए स्वामित्व मानचित्रों का उपयोग
3.	विवाद/संघर्ष समाधान तंत्र- आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया- पहली अधिसूचना, दूसरी अधिसूचना आदि, अंतिम भूखण्ड का मानचित्र तैयार करने की समय सीमा
4.	सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का दस्तावेज़ीकरण
5.	निगरानी एवं समय पर कार्यान्वयन आदि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग
6.	आबादी भूमि क्षेत्र का अनलॉक किया गया कवरेज
7.	आबादी भूमि क्षेत्र का मूल्यांकन
8.	संपत्ति कार्ड से कवर किए गए परिवारों की संख्या अर्थात कुल परिवार
9.	लाभान्वित वयस्क आबादी
च.	**डेटा अद्यतन/एकीकरण**
1.	राजस्व रिकॉर्ड और पंजीकरण प्रणाली के साथ डेटा एकीकरण
2.	आबादी रिकॉर्डों के भंडारण और अद्यतन के लिए प्रणालियाँ
3.	डेटा स्वामित्व और अद्यतनीकरण का फ्यूचर कोर्स

छ.	संपत्ति कर
1.	संपत्ति कर के मूल्यांकन की पद्धति (प्रासंगिक अधिनियम जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है)
2.	स्वामित्व के बाद संपत्ति कर में वृद्धि की सूचना
3.	ग्राम पंचायत को मिलने वाले लाभ
ज.	**स्थानिक योजना**
1.	विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानिक/मास्टर प्लान तैयार करने के लिए स्वामित्व डेटा का उपयोग
2.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानिक/मास्टर प्लान की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए वैधानिक समर्थन की आवश्यकता (आदर्श ग्रामीण परिवर्तन अधिनियम)
3.	स्थानिक/मास्टर योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण योजनाकारों और ग्रामीण डिजाइनरों, ग्रामीण परिवर्तन एजेंसी के साथ राज्य पीआरआई को सशक्त बनाने की आवश्यकता
4.	राज्य ग्रामीण परिवर्तन एजेंसी की निगरानी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानिक/मास्टर प्लान की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय ग्रामीण परिवर्तन संगठन की स्थापना की आवश्यकता
5.	कार्यान्वयन के लिए तैयार मास्टर/स्थानिक योजनाओं को समझने हेतु राज्य पीआरआई के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता
6.	पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मास्टर/स्थानिक योजना की तैयारी (स्वामित्व योजना डेटा का उपयोग करके) को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना की आवश्यकता

ग) अध्ययन के लिए कवरेज

क्र.सं.	नमूना स्थान	नमूना इकाइयाँ	टिप्पणी
1.	राज्य	24*	
2.	जिला	1-3 प्रति राज्य	जिलों/ग्राम पंचायतों/गांवों का नमूना विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और
3.	ग्राम पंचायतें	3-5 प्रति जिला	

			जनसांख्यिकीय प्रोफाइल से होना चाहिए • आकांक्षी जिले • पेसा जिले • ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो गया • पीसी वितरण पूरा हो गया • विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र- पर्वतीय, मैदानी और तटीय क्षेत्र आदि • महिला सरपंच वाली जीपी/गांव

*सिक्किम, झारखंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, गोवा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सभी राज्य जहां समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं

घ) प्रमुख हितधारकों के साथ संरचित साक्षात्कार

स्तर	डेटा संग्रहण उपकरण	उत्तरदाता	नमूना	चर्चा के मुद्दे
राज्य	प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कार (केआईआई)	राज्य पीआर, राज्य राजस्व और एसओआई	2-3 प्रति राज्य	परियोजना प्रबंधन, निगरानी, तकनीकी तत्परता, अभिसरण
जिला	प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कार (केआईआई)	जिला पीआर, जिला राजस्व, एसओआई	2-3 प्रति राज्य	परियोजना प्रबंधन, निगरानी, तकनीकी क्षमता, समन्वयन
जीपी	प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कार (केआईआई)/फोकस समूह चर्चा (एफजीडी)	जीपी पदाधिकारी/संपत्ति मालिक	2-3 प्रति जीपी	संवेदीकरण, आईईसी पहल, विवाद समाधान, डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड (परिणाम) का उपयोग, आदि।

परिवार	सर्वेक्षण प्रश्नावली	संपत्ति का मालिक	4-5 प्रति जीपी	एच एच विशेषताएं, योजना के साथ जुड़ाव, तत्काल परिणाम/लाभ, अपेक्षित और अनपेक्षित प्रभाव, आदि।

ङ) प्रभाव मूल्यांकन के लिए फ्रेमवर्क का नमूना

इकाई प्रकार	**आकार**	**टिप्पणी**
राज्य	24	
जिला	40	2-3 प्रति राज्य
जीपी	200	4-5 प्रति जिला
एचएच	2000	10 प्रति जीपी

**नमूना आकार अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है*

हालांकि, अपनाई जाने वाली नमूना पद्धति में एनएसएस क्षेत्र, गांवों की संख्या जैसे स्तरीकरण चर के संयोजन के आधार पर राज्य शामिल हो सकते हैं, जहां आबादी को डिजिटल और भू-संदर्भित किया जाना है। जिलों और गांवों का चयन आकार के अनुपातिक संभावना (पीपीएस) तकनीक का उपयोग करके किया जाना चाहिए, जिसमें छोटे राज्यों की तुलना में बड़े राज्यों के अधिक जिले/गांव शामिल हों।

5. **पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका और जिम्मेदारियां:**

(क) अध्ययन के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल अधिकारियों के राज्यवार संपर्क सुलभ करना।

(ख) किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अध्ययन की पाक्षिक समीक्षा करना।

(ग) प्रभाव मूल्यांकन के निष्कर्षों पर अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा प्रदान करना।

6. **प्रमुख डेलिवरेबल्स**

क्र.सं.	वितरणयोग्य/ डेलिवरेबल्स	समय-सीमा (महीनों में)
i	अपेक्षित प्रश्नावली आदि के प्रारूपों के साथ योजना के प्रभाव मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना	T+1
ii	मूल्यांकन की अंतरिम रिपोर्ट	T+4
iii	निष्कर्षों पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करना	T+ 6

7. **कार्यकाल**

पंचायती राज मंत्रालय और चयनित एजेंसी के बीच सहमति पत्र नवंबर, **2024** से प्रभावी होगा और **6** महीने की अवधि के लिए वैध रहेगा।

8. **गोपनीयता**

कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी को दूसरे पक्ष की कोई गोपनीय या व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी या संदर्भ की शर्तों **(TOR)** के निष्पादन के दौरान अर्जित ज्ञान का खुलासा या उसे रिलीज नहीं करेगा।

9. **विशिष्टता**

न तो पंचायती राज मंत्रालय और न ही चयनित एजेंसी इस ToR के तहत परिभाषित अपनी किसी भी गतिविधि को अन्य पक्षों की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (अपने सहयोगियों को छोड़कर) को सौंपेगी।

10. **बौद्धिक संपदा अधिकार**

इस बात पर सहमति और स्वीकृति दी जाती है कि पंचायती राज मंत्रालय के पास अवधि की समाप्ति के दौरान और उसके बाद भी सभी अधिकार सुरक्षित हैं और वे इन अधिकारों को अपने पास रखेंगे। यह भी सहमति है कि दोनों पक्ष दूसरे पक्ष या उसके संबद्ध संस्थाओं के नाम या किसी अन्य व्यापार नाम, ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, लोगो, प्रतीक या अन्य बौद्धिक संपदा का उपयोग इस **ToR** में दूसरे पक्ष की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेंगे।

11. **पात्रता मानदंड**

आवेदन करने के लिए एजेंसी के पास निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव होना चाहिए और इसे तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। इच्छुक एजेंसियों/संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें अन्यथा उन्हें तकनीकी बोलियों के खुलने के समय अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

i. भारत में कार्य अनुबंध करने के लिए मंत्रालय के साथ समझौता/अनुबंध करने हेतु संगठन को एक कानूनी इकाई होना चाहिए।

ii. एजेंसी को नीति आयोग के पोर्टल एनजीओ दर्पण में पंजीकृत होना चाहिए। इससे संबंधित पंजीकरण विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

iii. आवेदक एजेंसी के पास राज्य/संघ सरकार या अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन पर समान कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

iv. इसमें ग्रामीण सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं, परियोजना प्रबंधन, क्षमता निर्माण, प्रभाव आकलन, परियोजना और संस्थागत विकास के मूल्यांकन एवं समीक्षा आदि से संबंधित अध्ययन करने में विशेषज्ञता वाले पेशेवर होने चाहिए।

v. पिछले तीन वर्षों में किए गए समान कार्य अनुभव की प्रमाणित प्रतियों की स्कैन की गई प्रति।

vi. एजेंसी को सभी राज्यों को कवर करना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा 4(ई) में कहा गया है।

vii. यह वचनबद्धता कि एजेंसी किसी भी केन्द्रीय/राज्य विभाग की काली सूची में नहीं है।

viii. संगठन को 1 जनवरी, 2013 को या उससे पहले पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

ix. संगठन को वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए लेखापरीक्षित लेखा विवरण उपलब्ध कराना होगा।

x. वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट संलग्न की जाए।

xi. संगठन को प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने में सक्षम कम से कम पांच विशेषज्ञों की उपलब्धता प्रदर्शित करनी होगी।

xii. 3.75 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट / बैंक गारंटी / बीमा ज़मानत बांड या ईएमडी छूट प्रमाण पत्र की स्कैन की गई ईएमडी प्रति।

xiii. तकनीकी एवं वित्तीय बोलियां अलग-अलग प्रस्तुत की जाती हैं।

xiv. अपलोड करने से पहले दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ को बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना होगा।

12. चयन प्रक्रिया

निविदा खोलने वाली समिति (टीओसी) द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद, प्रस्तावों (बोली) को आगे के मूल्यांकन के लिए मंत्रालय में गठित परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) के समक्ष रखा जाएगा। एजेंसी का चयन विधिवत गठित चयन समिति यानी परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) द्वारा किया जाएगा। परामर्श मूल्यांकन समिति को नीचे उल्लिखित मूल्यांकन मानदंडों का पालन करना होगा। इच्छुक एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी तकनीकी बोली में सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	**मूल्यांकन पैरामीटर**	**अंक**	**भारांक**
क	**तकनीकी मूल्यांकन**	**100**	**70%**
(i)	**टीम संरचना और विशेषज्ञता**	**50**	

	1. टीम लीडर की योग्यता और विशेषज्ञता, जिसमें पहले किए गए अध्ययन और प्रकाशित रिपोर्ट शामिल हैं (ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 15 वर्ष के अनुसंधान अनुभव के साथ डॉक्टरेट, बहुपक्षीय एजेंसियों और सरकारी हितधारकों के साथ काम करने का अनुभव सामुदायिक विकास एवं गवर्नेंस, निगरानी एवं मूल्यांकन, ग्रामीण शासन में विशेषज्ञता) नोट: एजेंसी को योग्यता, कार्य अनुभव के वर्ष, किए गए अध्ययनों की संख्या, प्रकाशित रिपोर्टों की संख्या तथा सहायक दस्तावेज़ों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।	20	
	2. अनुसंधान टीम के दो वरिष्ठ सदस्यों (टीम लीडर के अलावा) की योग्यता और विशेषज्ञता (न्यूनतम स्नातकोत्तर के साथ ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुसंधान अनुभव, बहुपक्षीय एजेंसियों और सरकारी हितधारकों के साथ काम करने का अनुभव, सामुदायिक विकास और गवर्नेंस, निगरानी और मूल्यांकन, ग्रामीण शासन में विशेषज्ञता। माइक्रोफाइनेंस, विकास वित्त, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता) नोट: एजेंसी को योग्यता, कार्य अनुभव के वर्ष, किए गए अध्ययनों की संख्या, प्रकाशित रिपोर्टों की संख्या तथा सहायक दस्तावेज़ों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।	20	

	3. ग्रामीण भूमि गवर्नेंस क्षेत्र में विशेषज्ञों की संख्या 1-2 = 5 अंक 2-4 = 10 अंक	10	
(ii)	**फर्म का पिछला अनुभव**	**20**	
	1. समान कार्य में संगठन का अनुभव	10	
	2. ग्रामीण भूमि गवर्नेंस से संबंधित किए गए अध्ययनों की संख्या	10	
(iii)	**दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली**	**20**	
	1. क्या यह ToR के उद्देश्यों के अनुरूप है और इसमें ToR में उल्लिखित सभी पहलू शामिल हैं	10	
	2. अनुसंधान डिजाइन और रणनीति की गुणवत्ता	10	
(iv)	**अध्ययन को व्यवस्थित करने की योजना**	**10**	
	क्या विभिन्न चरणों के लिए उपयुक्त समय-सीमा और जनशक्ति को दर्शाया गया है	10	
ख	**वित्तीय मूल्यांकन(*)**	**100**	**30%**
	वित्तीय विवरण सहित कुल परियोजना लागत		
	व्यावसायिक शुल्क, परिचालन व्यय, लागू कर आदि दर्शाए गए हैं		

(*) तकनीकी बोली दस्तावेजों में शामिल नहीं किया जाएगा। तकनीकी बोली दस्तावेजों के साथ वित्तीय बोली प्रस्तुत करने पर बोली अयोग्य घोषित कर दी जाएगी।

टिप्पणी:

क) तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हता अंक 100 में से 75 होंगे।

ख) यदि आवश्यक हो, तो परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) वित्तीय बोलियां खोले जाने से पहले सभी या तकनीकी रूप से योग्य एजेंसियों को अपनी प्रस्तावित कार्यप्रणाली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

ग) वित्तीय बोलियां केवल उन एजेंसियों की खोली जाएंगी, जो पात्रता मानदंडों में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यकताओं और ऊपर उल्लिखित न्यूनतम तकनीकी मूल्यांकन मापदंडों को पूरा करती हैं।

घ) वित्तीय मूल्यांकन अंक न्यूनतम बोली के अनुपात में गणना किये जायेंगे (उदाहरण के लिए न्यूनतम वित्तीय बोली को 30 अंक मिलेंगे)।

ङ) उपरोक्त मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली तथा परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) द्वारा अनुशंसित एजेंसी को मूल्यांकन का कार्य सौंपा जाएगा।

13. एजेंसी को भुगतान

स्वीकृत राशि का भुगतान 30:70 की दो किस्तों में किया जाएगा। 30% की पहली किस्त एजेंसी द्वारा अपेक्षित बॉन्ड, बैंक गारंटी के रूप में एक कार्य निष्पादन सुरक्षा, कार्यप्रणाली और आकार/स्वरूप आदि सहित विस्तृत अध्ययन डिजाइन, परियोजना टीम का विवरण, रिपोर्ट तैयार करने के विभिन्न चरणों की समय सीमा प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाएगी। अध्ययन डिजाइन और अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रस्तुत कर एमओपीआर द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

70% की अंतिम किस्त निम्नलिखित अंतिम रिपोर्ट के अधीन जारी की जाएगी: (i) अंतिम रिपोर्ट पर एक प्रस्तुति दी जाएगी; (ii) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट का मूल्यांकन और स्वीकृति तथा (iii) पंचायती राज मंत्रालय के सुझावों को शामिल करते हुए वास्तव में उपयोग की गई राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा विवरण प्रस्तुत करना (पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी के साथ 10 हार्ड कॉपी) संस्था/संगठन द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा विवरण के साथ अंतिम प्रस्तुति प्रस्तुत करने के बाद।

अंतिम भुगतान मूल्यांकन एवं अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। चयनित एजेंसी को किया जाने वाला भुगतान, भुगतान अनुसूची और जीएफआर 2017 नियमों के अनुसार होगा। पंचायती राज मंत्रालय को कार्य में देरी या चूक के मामले में चयनित एजेंसी को देय किसी भी भुगतान को रोकने का अधिकार होगा।

14. अनुबंध के अन्य नियम व शर्तें

इच्छुक एजेंसियां "राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्वामित्व
(ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग) योजना के प्रभाव मूल्यांकन" पर अध्ययन करने के लिए एजेंसी की नियुक्ति के लिए बोली की अंतिम तिथि (यानी 30/10/2024) तक अपनी विस्तृत जानकारी और बोलियां GeM पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकती हैं। बोलीदाताओं को **अनुबंध- II** और **अनुबंध III** में दिए गए प्रोफार्मा में पीडीएफ प्रारूप में अपनी बोलियां अपलोड करनी चाहिए।

क) यदि बोली इस दस्तावेज़ में उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं करती है तो मंत्रालय बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ख) निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अंतिम तिथि (तथा समय से आगे) के पश्चात किसी भी रूप में बोलियां प्राप्त/स्वीकार नहीं की जाएंगी।

ग) बोलीदाता को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) / बैंक गारंटी (बीजी) / बीमा ज़मानत बांड (आईएसबी) के रूप में 3.75 लाख रुपये (तीन लाख पचहत्तर हज़ार रुपये मात्र) का बयाना (ईएमडी) जमा करना होगा, जो "अनुभाग अधिकारी (रोकड़), पंचायती राज मंत्रालय" के पक्ष में नई दिल्ली में देय होगा। हालांकि, जो लोग केंद्रीय खरीद संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) या संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ पंजीकृत हैं और इस असाइनमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ईएमडी जमा करने की आवश्यकता नहीं है (तकनीकी बोली के साथ ऐसी छूट के बारे में प्रासंगिक आदेशों / दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियां जमा करनी चाहिए)। बोली लगाने वाला संगठन उपर्युक्त सूची में आता है या नहीं, इस बारे में अंतिम निर्णय एमओपीआर के पास रहेगा। ईएमडी या ईएमडी छूट प्रमाण पत्र के बिना प्रस्तुत बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

घ) बोली वैधता अवधि के बाद ईएमडी 45 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी। निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि से बोलियां 90 दिनों के लिए वैध रहनी चाहिए। असफल बोलीदाता की ईएमडी राशि अंतिम बोली वैधता की समाप्ति के बाद और सफल बोलीदाता को अनुबंध दिए जाने के 30 दिन बाद या उससे पहले वापस कर दी जाएगी। ईएमडी राशि की वापसी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और इसे प्रस्तुत किए गए मूल रूप में वापस कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता की ईएमडी को निष्पादन कार्य सुरक्षा प्राप्त होने पर (बिना किसी ब्याज के मूल रूप में) वापस कर दिया जाएगा। निष्पादन कार्य सुरक्षा (गारंटी) अनुबंध के मूल्य का 5% होगी और सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। परियोजना और अन्य सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने पर 90 दिनों के बाद निष्पादन कार्य गारंटी वापस कर दी जाएगी।

ङ) 3.75 लाख रुपये (तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) की मूल ईएमडी डीडी/बीजी/आईएसबी के रूप में बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक मंत्रालय में जमा करानी होगी। कोई अन्य फॉर्म/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईएमडी के रूप में 3.75 लाख रुपये की डीडी/बीजी की स्कैन की गई कॉपी तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जानी चाहिए।

च) चूंकि अध्ययन की अवधि कम है, इसलिए एजेंसी के पास संबंधित विभिन्न राज्यों से एक साथ डेटा संग्रह, डेटा जांच, डेटा फ़िल्टरिंग और डेटा विश्लेषण का संचालन और समन्वय करने के लिए बड़ी, विशेषज्ञ जनशक्ति (स्थायी और अस्थायी रूप से नियुक्त) का कौशल आधार होना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनशक्ति की कोई आवश्यकता पूरी नहीं की जाएगी। निविदा को दिए गए जॉब वर्क को अन्य फर्मों/एजेंसियों को आगे कोई उप-अनुबंध/प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। कंसोर्टियम की भी अनुमति नहीं है।

छ) एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि क्या फर्म एकल स्वामित्व के अंतर्गत है या साझेदारी में है।

ज) कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी और ऐसी बोलियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर सरसरी तौर पर खारिज की जा सकती हैं। यदि किसी बोलीदाता को निविदा की शर्तों और नियमों के संबंध में कोई आपत्ति है, तो उसे GeM पर उपलब्ध प्रतिनिधित्व विंडो में बताया जा सकता है। उद्धृत निविदा दरों को निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिनों के लिए मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के लिए खुला रखा जाएगा।

झ) अध्ययन से प्राप्त डेटा पंचायती राज मंत्रालय की एकमात्र संपत्ति होगी। हालांकि, मूल्यांकनकर्ता को पंचायती राज मंत्रालय की पूर्व अनुमति से विशेष रूप से अनुसंधान/विश्लेषण के लिए डेटा का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

ञ) मूल्यांकन के लिए शुल्क राशि के अंतर्गत न तो कोई पूंजीगत लागत आएगी और न ही एजेंसी द्वारा मूल्यांकन करने के लिए स्वीकृत मूल शुल्क से अधिक पंचायती राज मंत्रालय के लिए कोई देयता सृजित होगी।

ट) पंचायती राज मंत्रालय किसी भी समय बिना कोई कारण बताए एजेंसी के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में, एजेंसी को सरकार द्वारा जारी की गई राशि को 10% प्रति वर्ष के दंडात्मक ब्याज के साथ वापस करना होगा। इस संबंध में कोई भी विवाद दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

ठ) *फर्म के पास वैध पैन नंबर, जीएसटी नंबर होना चाहिए, जिसकी प्रतियां कोटेशन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।.*

ड) <u>लागू जीएसटी को उनकी वित्तीय बोली में अलग से उद्धृत किया जाना चाहिए, जिसके अभाव में यह माना जाएगा कि वे दरों में शामिल हैं और एमओपीआर का इन शुल्कों का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं होगा।</u>.

ढ) जहां तक अनुबंध देने का संबंध है, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा इसके विरुद्ध किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा।

ण) बोली के साथ अनुभव का विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी संलग्न करनी होगी, जिसे बोलीदाता को मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहेगा।

त) जो एजेंसी तकनीकी रूप से योग्य पाई जाएगी, केवल उसी पर वित्तीय बोलियों के लिए विचार किया जाएगा।

थ) एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जीएफआर के गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) के अनुसार होगी, अर्थात तकनीकी प्रस्तावों की गुणवत्ता का मूल्यांकन ऊपर पैरा 12 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। केवल उन्हीं उत्तरदायी प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा, जिन्होंने तकनीकी प्रस्ताव की गुणवत्ता में न्यूनतम निर्दिष्ट योग्यता अंक (यानी 75 अंक) प्राप्त किए हैं। उत्तरदायी तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोलने और स्कोर करने के बाद, तकनीकी प्रस्ताव की गुणवत्ता के स्कोर और वित्तीय प्रस्ताव के स्कोर के लिए पूर्वनिर्धारित सापेक्ष भारांक देकर एक अंतिम संयुक्त स्कोर प्राप्त किया जाएगा। उच्चतम भारांक वाले संयुक्त स्कोर (गुणवत्ता और लागत) वाले प्रस्ताव का चयन किया जाएगा।

द) मंत्रालय किसी भी बोली को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ध) पंचायती राज मंत्रालय किसी भी समय बिना कोई कारण बताए दिए गए अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा समाप्ति के विरुद्ध निविदाकर्ता के किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

न) यदि सफल बोलीदाता पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कार्य निष्पादन गारंटी/सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

ऩ) बोली की वैधता निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 75 दिन तक होगी।

प) ईमानदारी संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा, और निविदा प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को नैतिक आचरण और ईमानदारी, ईमानदारी और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों का पालन करना होगा, और अपने पेशेवर विवेक के अनुसार काम करना होगा। इसके अलावा, बोलीदाताओं को अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी भी तरह का हितों का टकराव नहीं होना चाहिए।

फ) सत्यनिष्ठा संहिता के अनुसार, खरीद प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति (क) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ पाने के लिए या खरीद प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने के बदले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्वत, इनाम या उपहार या कोई भौतिक लाभ की पेशकश नहीं करेगा; (ख) वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या दायित्व से बचने के लिए गलत बयानी नहीं करेगा या गुमराह करने का प्रयास नहीं करेगा; (ग) खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बिगाड़ने के लिए किसी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार में लिप्त नहीं होगा; (घ) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से खरीद करने वाली इकाई और बोलीदाताओं के बीच साझा की गई किसी भी सूचना का दुरुपयोग नहीं करेगा; (ङ) खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने या ऐसा करने की धमकी देने समेत किसी भी तरह के दबाव में लिप्त नहीं होगा; और (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी इकाई के साथ किसी भी पिछले उल्लंघन या किसी अन्य खरीद इकाई द्वारा किसी भी निषेध का खुलासा करना।

ब) मंत्रालय और एजेंसी के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में, जिसका सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा नहीं किया गया है, ऐसे विवाद को मंत्रालय के कर्मचारी के बजाय मंत्रालय के नामित व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा और उसके अनुसरण में दिया गया निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। पक्ष सहमत है और वचन देता है कि वह अनुबंध के उपरोक्त मध्यस्थता खंड के अनुसरण में दिए गए निर्णय को चुनौती नहीं देगा। पक्षों की सहमति से मध्यस्थ निर्णय देने और प्रकाशित करने की समय-सीमा को संशोधित कर सकते हैं। इस तरह की मध्यस्थता सभी मामलों में भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके बाद के प्रावधानों और उसके तहत नियमों और किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन द्वारा शासित होगी। मध्यस्थता कार्यवाही भारत में दिल्ली में आयोजित की जाएगी और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा और पक्षों के बीच सभी दस्तावेज और पत्राचार अंग्रेजी में होंगे। मध्यस्थों के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। सभी मध्यस्थता अवार्ड लिखित रूप में होंगे और अवार्ड के कारणों को बताना होगा। मध्यस्थों द्वारा निर्धारित सभी मध्यस्थों के खर्च को एजेंसी के चयन के लिए RFR द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा - मंत्रालय और एजेंसियां। हालांकि, तैयारी, प्रस्तुति के संबंध में प्रत्येक पक्ष द्वारा किए गए खर्च को पार्टी द्वारा ही वहन किया जाएगा।

भ) निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि और इस सीमा तक कि, अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में देरी या अन्य विफलताएं किसी अप्रत्याशित घटना का परिणाम हैं, तो एजेंसियां परिसमाप्त क्षति या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी। इस खंड के प्रयोजनों के लिए "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ है ऐसी घटना जो एजेंसियों के नियंत्रण से परे हो और जिसमें एजेंसी की गलती या लापरवाही शामिल न हो और जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता हो। ऐसी घटनाओं में युद्ध या क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध और माल

ढुलाई प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। अप्रत्याशित घटना के संबंध में मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा और एजेंसियों पर बाध्यकारी होगा। यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो एजेंसियां ऐसी स्थितियों और उसके कारण के बारे में मंत्रालय को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेंगी। जब तक मंत्रालय द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है, एजेंसियां यथासंभव व्यावहारिक रूप से अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेंगी और अप्रत्याशित घटना द्वारा बाधित न किए गए प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेंगी। यदि पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अनुबंध के तहत विवाद के समाधान के दो तरीके होंगे।

म) पंचायती राज मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय लिखित में नोटिस द्वारा ठेकेदार को निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में मुआवजा दिए बिना अनुबंध को तत्काल समाप्त कर सकता है, अर्थात: - यदि एजेंसी एक व्यक्ति या फर्म है, तो ठेकेदार की फर्म में कोई भागीदार, किसी भी समय दिवालिया घोषित किया जाता है या उसके खिलाफ उसकी संपत्ति के संचालन/प्रशासन के लिए एक प्राप्ति आदेश या आदेश दिए जाते हैं या किसी भी दिवालियापन के तहत परिसमापन या संयोजन के लिए कोई कार्यवाही करता है जो फिलहाल लागू नहीं है या अपने प्रयासों की कोई सुविधा या असाइनमेंट करता है या किसी भी दिवालियापन के तहत कोई व्यवस्था या संयोजन में भाग लेता है जो फिलहाल लागू नहीं है या अपने प्रयासों का कोई सुविधा या असाइनमेंट करता है या अपने लेनदारों के साथ कोई व्यवस्था या संयोजन में भाग लेता है या भुगतान को निलंबित करता है यदि फर्म साझेदारी अधिनियम के तहत भंग हो जाती है या (i) यदि ठेकेदार, जो कि एक कंपनी है, कोई प्रस्ताव पारित करेगा या न्यायालय मामले के परिसमापन के लिए आदेश देगा या डिबेंचर धारक की ओर से प्रबंधक का रिसीवर नियुक्त किया जाएगा या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जो न्यायालय या डिबेंचर धारकों को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने का अधिकार देती हों; (ii) यदि ठेकेदार इस अनुबंध का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इसमें विशेष रूप से साबित नहीं किया गया है: बशर्ते कि ऐसा निर्धारण पंचायती राज मंत्रालय को प्राप्त किसी कार्रवाई या उपचार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या उसके बाद प्राप्त होगा और यह भी बशर्ते कि ठेकेदार किसी भी अतिरिक्त व्यय के लिए पंचायती राज मंत्रालय को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, वह इसके लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन पुनर्खरीद पर किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा।

(कक) इस कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार, अनुनय, टेलीफोन / व्यक्तिगत अनुवर्ती कार्रवाई और प्रचार (किसी भी रूप में) स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(खख) पंचायती राज मंत्रालय के सचिव किसी भी विवाद के निपटारे के लिए अंतिम प्राधिकारी होंगे और इस दस्तावेज के किसी भी खंड/नियम/शर्त की उनकी व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी और न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिल्ली/नई दिल्ली होगा।

15. इस संबंध में कोई भी अतिरिक्त जानकारी इस मंत्रालय के संबंधित अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन: 011-23725308 (कार्यालय समय के दौरान) पर प्राप्त की जा सकती है।

16. इस दस्तावेज़ के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

17. इसे आईएफडी के डायरी सं. 166/आईएफडी/एमओपीआर दिनांक 01/10/2024 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

प्रतिलिपि:-

1. सीपीपी पोर्टल

2. एनआईसी, पंचायती राज मंत्रालय से अनुरोध है कि इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाए तथा तकनीकी और वित्तीय बोलियां खोलने के दौरान एक व्यक्ति को तैनात किया जाए।

अनुबंध-I

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य
1.	अंडमान और निकोबार
2.	आंध्र प्रदेश
3.	अरुणाचल प्रदेश
4.	असम
5.	छत्तीसगढ
6.	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली
7.	गुजरात
8.	हरियाणा
9.	हिमाचल प्रदेश
10.	जम्मू और कश्मीर
11.	झारखंड
12.	कर्नाटक
13.	केरल
14.	लद्दाख
15.	लक्षद्वीप
16.	मध्य प्रदेश
17.	महाराष्ट्र
18.	मणिपुर
19.	मिजोरम
20.	ओडिशा
21.	पुदुचेरी
22.	पंजाब
23.	राजस्थान
24.	त्रिपुरा
25.	उत्तर प्रदेश
26.	उत्तराखंड
27.	सिक्किम
28.	गोवा
29.	तमिलनाडु
30.	तेलंगाना
31.	दिल्ली

अनुबंध - II

सेवा में,

उप निदेशक (एआर एंड आरएस)
पंचायती राज मंत्रालय
टॉवर II, 9वीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग,
संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001.

विषय: राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण में उन्नत तकनीक का उपयोग) योजना के प्रभाव मूल्यांकन पर अध्ययन प्रदान करने के लिए खुली ई-निविदा - बोलियां आमंत्रित करना।

महोदय,

मैं/हम उपर्युक्त विषय पर विड प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं और पंचायती राज मंत्रालय की निविदा पूछताछ संख्या एम-11015/192/2023-गवर्नेंस दिनांक ___ सितंबर, 2024 में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों से सहमति/स्वीकार करने के लिए सहमति देते हैं। कोटेशन दरों में सभी कर शामिल नहीं हैं और जैसा कि नीचे दर्शाया गया है: -

क्रम सं.	वस्तु	इकाई	दर रुपए में (अंकों और शब्दों में)
1			
2			
3			
4			

5			
	कुल		

(कृपया उल्लेख करें कि प्रचलित जीएसटी दर लागू होगी तथा अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा)

(अंकों एवं शब्दों में उल्लिखित दरों में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर शब्दों में दी गई दरें अंतिम मानी जाएंगी)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित)

निविदाकर्ता फर्म का नाम:_______

अनुबंध-III

सेवा में,

उप निदेशक (एआर एंड आरएस)
पंचायती राज मंत्रालय
टॉवर II, 9वींमंजिल, जीवनभारती बिल्डिंग,
संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001.

विषय: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण में उन्नत तकनीक का उपयोग) योजना के प्रभाव मूल्यांकन पर अध्ययन प्रदान करने के लिए ई-निविदा - बोलियां आमंत्रित करना।

महोदय,

मैं/हम उपर्युक्त विषय पर कोटेशन प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं और पंचायती राज मंत्रालय के निविदा पूछताछ संख्या एम-11015/192/2023-गवर्नेंस दिनांक ___ सितंबर, 2024 में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों से सहमत/स्वीकार करने के लिए सहमति देते हैं। पैरा में उल्लिखित बिंदुओं में उल्लिखित विशिष्ट जानकारी ______ नीचे दिए गए हैं: -

क्रम सं.	दस्तावेज़	विवरण

2. मैं/हम वचन देते हैं कि दस्तावेज़ वास्तविक/प्रामाणिक हैं और कोई भी महत्वपूर्ण या अवास्तविक जानकारी छिपाई नहीं गई है और मुझे/हमें किसी सरकारी संगठन द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है और मैं अनुबंध के लिए आवेदन करने में सक्षम हूँ। मैं/हम समझते हैं कि यदि धोखाधड़ी के माध्यम से/जानकारी छिपाकर अनुबंध प्राप्त किया गया पाया जाता है, तो इसे रद्द किया जा सकता है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित)

निविदाकर्ता फर्म का नाम: ______________________

पूरा डाक पता: ________________________

दूरभाष: ____

फैक्स: ____

मोबाइल: ____

ई-मेल आईडी: ____